बि0क0च0आ0–प्र0–03 / परीक्षा–09 / 2021

बिहार कर्मचारी चयन आयोग,

पो0–वेटनरी कॉलेज, पटना–14

आवश्यक सूचना

ज्ञापांक–4368/आ0 पटना, दिनांक–18/11/22

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा वरीय वैज्ञानिक सहायक पद हेतु वि0सं0–02/22, का प्रकाशन आयोग के वेबसाइट **https://bssc.bihar.gov.in** पर सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रदर्शित कर दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट पर दिनांक–22.11.2022 से 24.12.2022 अवधि के लिए समर्पित किया जा सकता है।

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे वांछित प्रासंगिक प्रमाण–पत्र (शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र/विकलांगता प्रमाण–पत्र/स्थायी निवास प्रमाण–पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र/EWS प्रमाण–पत्र) आदि का संकलन ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व कर लें तथा तद्नुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रविष्टियाँ करना सुनिश्चित करेंगे।

किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन–पत्र भर कर समर्पित (Submit) कर देने के पश्चात ऑनलाइन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों में सुधार संभव नहीं होगा।

18/11/2022

सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग
पो0–वेटनरी कॉलेज, पटना–14

अपराध अनुसंधान विभाग, पटना, बिहार के अन्तर्गत वरीय वैज्ञानिक सहायक के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन सं0–02 / 22

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि–22.11.2022 **ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि–24.12.2022**

अपराध अनुसंधान विभाग, पटना, बिहार के अंतर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वरीय वैज्ञानिक सहायक (वरी0वैज्ञा0सहा0) के पदों पर (आरक्षण कोटिवार) योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर अनुशंसा करने हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अधियाचना प्राप्त हुई है। अधियाचनानुसार वरीय वैज्ञानिक सहायक के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन (Online) आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। वरीय वैज्ञानिक सहायक से संबंधित पदों की विवरणी निम्नरूपेण है:–

क्र0 सं0	पदनाम (प्रशाखा सहित)	पदवार पदों की संख्या एवं 35% क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं हेतु आरक्षित पदों की संख्या	कोटिवार रिक्तियों की संख्या								स्वतंत्रता सेनानी के पोता / पोती / नाती / नतीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की सं0
			अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़े वर्ग की महिला	कुल पदों की संख्या		
1	वरीय वैज्ञानिक सहायक (भौतिकी)	पदों की संख्या	01	–	–	01	01	–	–	03	–	–
		35% महिला आरक्षण के पदों की संख्या	–	–	–	–	–	–	–	–		
2	वरीय वैज्ञानिक सहायक (आग्नेयास्त्र)	पदों की संख्या	10	03	03	05	04	01	01	27	–	Visual Impaired 01
		35% महिला आरक्षण के पदों की संख्या	04	01	01	02	02	–	00	10		
3	वरीय वैज्ञानिक सहायक (फोटो)	पदों की संख्या	01	–	–	01	–	–	–	02	–	-
		35% महिला आरक्षण के पदों की संख्या	–	–	–	–	–	–	–	00		
4	वरीय वैज्ञानिक सहायक (साईबर)	पदों की संख्या	06	01	02	02	02	–	–	13	–	Visual Impaired 01
		35% महिला आरक्षण के पदों की संख्या	02	–	01	01	01	–	–	05		
5	वरीय वैज्ञानिक सहायक (सामान्य रसायन)	पदों की संख्या	–	–	–	01	01	–	–	02	–	–
		35% महिला आरक्षण के पदों की संख्या	–	–	–	–	–	–	–	00		

क्र0 सं0	पदनाम (प्रशाखा सहित)	पदवार पदों की संख्या एवं 35% क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं हेतु आरक्षित पदों की संख्या	कोटिवार रिक्तियों की संख्या								स्वतंत्रता सेनानी के पोता / पोती / नाती / नतीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की सं0
			अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़े वर्ग की महिला	कुल पदों की संख्या		
6	वरीय वैज्ञानिक सहायक (विष विज्ञान)	पदों की संख्या	06	01	01	03	03	—	—	14	—	Visual Impaired 01
		35% महिला आरक्षण के पदों की संख्या	03	—	01	01	01	—	—	06		
7	वरीय वैज्ञानिक सहायक (विस्फोटक)	पदों की संख्या	02	01	01	—	01	—	—	05	—	—
		35% महिला आरक्षण के पदों की संख्या	01	—	—	—	—	—	—	01		
8	वरीय वैज्ञानिक सहायक (नारकोटिक्स)	पदों की संख्या	03	01	01	—	01	—	—	06	—	—
		35% महिला आरक्षण के पदों की संख्या	01	—	—	—	—	—	—	01		
9	वरीय वैज्ञानिक सहायक (जीव विज्ञान)	पदों की संख्या	06	01	01	02	02	—	01	13	—	—
		35% महिला आरक्षण के पदों की संख्या	02	—	00	01	01	—	—	04		
10	वरीय वैज्ञानिक सहायक (सीरम)	पदों की संख्या	02	—	—	—	01	—	—	03	—	—
		35% महिला आरक्षण के पदों की संख्या	01	—	—	—	01	—	—	02		
11	वरीय वैज्ञानिक सहायक (डी0एन0ए0)	पदों की संख्या	01	—	—	01	—	—	—	02	—	—
		35% महिला आरक्षण के पदों की संख्या	—	—	—	—	—	—	—	00		
12	वरीय वैज्ञानिक सहायक (पॉलिग्राफी)	पदों की संख्या	02	—	—	01	01	—	—	04	—	—
		35% महिला आरक्षण के पदों की संख्या	01	—	—	—	—	—	—	01		
13	**वरीय वैज्ञानिक सहायक (नारको एनालाईसिस)**	पदों की संख्या	03	—	01	01	01	—	—	06	—	—
		35% महिला आरक्षण के	01	—	—	—	—	—	—	01		

क्र0 सं0	पदनाम (प्रशाखा सहित)	पदवार पदों की संख्या एवं 35% क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं हेतु आरक्षित पदों की संख्या	कोटिवार रिक्तियों की संख्या								स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की सं0
			अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़े वर्ग की महिला	कुल पदों की संख्या		
		पदों की संख्या										
कुल पद			43	08	10	18	18	01	02	100	–	Visual Impaired 03
35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद			16	01	03	05	06	00	00	31		

नोट– दिव्यांगता की प्रकृतिः– Visual Impaired **(दृष्टि दिव्यांग)।**

2. **पदों (प्रशाखाओं) की प्राथमिकताः–** उम्मीदवार अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप ही प्रशाखाओं के विकल्पों की प्राथमिकता अंकित करते हुए विधि विज्ञान प्रयोगशाला की एक से अधिक प्रशाखाओं के लिए एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। उम्मीदवार जिन प्रशाखाओं के लिए प्राथमिकता अंकित नहीं करेंगे, उन प्रशाखाओं के लिए उनके अभ्यर्थित्व पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

3. **वेतनमानः–** पुनरीक्षित लेवल–6 (अपुनरीक्षित– वेतन बैंड 9300–38400 + ग्रेड पे0–4200/–)

4. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः–** वरीय वैज्ञानिक सहायक हेतु पदवार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नरूपेण निर्धारित हैः–

क्र0 सं0	पदनाम (प्रशाखा सहित)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	वरी0वैज्ञा0सहा0 (भौतिकी)	1 एम0एस0सी0–भौतिकी अथवा एम0एस0सी0 गणित अथवा एम0एस0सी0 बायोफिजिक्स (Bio-Physics) अथवा एम0एस0सी0 एप्लाइड फिजिक्स (Applied Physics) अथवा एम0टेक0 कम्प्यूटर साईंस (Computer Science) अथवा एम0टेक0 इंस्ट्रूमेंटेशन (Instrumentation) अथवा एम0एस0सी0–फॉरेंसिक साईंस। 2. एम0एस0सी0 फॉरेंसिक साईंस के लिए बी0एस0सी0 अथवा बी0टेक0 स्तर पर विषय–भौतिकी।
2	वरी0वैज्ञा0सहा0 (आग्नेयशास्त्र)	1 एम0एस0सी0–भौतिकी अथवा एम0एस0सी0 गणित अथवा एम0एस0सी0–फॉरेंसिक साईंस 2. एम0एस0सी0 फॉरेंसिक साईंस के लिए बी0एस0सी0 अथवा बी0टेक0 स्तर पर विषय–भौतिकी अथवा गणित।
3	वरी0वैज्ञा0सहा0 (फोटो)	1 एम0एस0सी0–भौतिकी अथवा एम0एस0सी0–फॉरेंसिक साईंस 2. एम0एस0सी0 फॉरेंसिक साईंस के लिए बी0एस0सी0 अथवा बी0टेक0 स्तर पर विषय–भौतिकी।
4	वरी0वैज्ञा0सहा0 (साईबर)	1.इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा कम्प्यूटर साईंस में एम0टेक0 अथवा एम0एस0सी0–फॉरेंसिक साईंस 2. एम0एस0सी0 फॉरेंसिक साईंस के लिए बी0एस0सी0 अथवा बी0टेक0 स्तर का विषय–इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा कम्प्यूटर साईंस में बी0टेक0।
5	वरी0वैज्ञा0सहा0 (सामान्य रसायन)	1.एम0एस0सी0–रसायन शास्त्र (Chemistry) अथवा एम0एस0सी0-बॉयोकेमेस्ट्री (Bio Chemistry) अथवा एम0एस0सी0–फर्माकोलॉजी (Pharmacology) अथवा एम0एस0सी0 –फॉरेंसिक साईंस। 2. एम0एस0सी0–फॉरेंसिक साईंस के लिए बी0एस0सी0 अथवा बी0टेक0 स्तर पर विषय–रसायन शास्त्र।

क्र0 सं0	पदनाम (प्रशाखा सहित)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
6	वरी0वैज्ञा0सहा0 (विष विज्ञान)	1. एम0एस0सी0–रसायन शास्त्र अथवा एम0एस0सी0 विष विज्ञान (Toxicology) अथवा एम0एस0सी0–फॉरेंसिक साईंस 2. एम0एस0सी0–फॉरेंसिक साईंस के लिए बी0एस0सी0 अथवा बी0टेक0 स्तर पर विषय–रसायन शास्त्र।
7	वरी0वैज्ञा0सहा0(विस्फोटक)	1. एम0एस0सी0–रसायन शास्त्र अथवा एम0एस0सी0–फॉरेंसिक साईंस 2. एम0एस0सी0–फॉरेंसिक साईंस के लिए बी0एस0सी0 अथवा बी0टेक0 स्तर पर विषय–रसायन शास्त्र।
8	वरी0वैज्ञा0सहा0 (नारकोटिक्स)	1. एम0एस0सी0–रसायन शास्त्र अथवा एम0एस0सी0–फॉरेंसिक साईंस 2. एम0एस0सी0–फॉरेंसिक साईंस के लिए बी0एस0सी0 अथवा बी0टेक0 स्तर पर विषय–रसायन शास्त्र।
9	वरी0वैज्ञा0सहा0 (जीव विज्ञान)	1. एम0एस0सी0–प्राणिकी अथवा एम0एस0सी0 वनस्पति शास्त्र अथवा एम0एस0सी0–जीव रसायन अथवा एम0एस0सी0 मानविकी (शारीरिक) अथवा एम0एस0सी0 बॉयोटेक्नोलॉजी (Biotechnology) अथवा एम0एस0सी0 अनुजैविकी (Microbiology) अथवा एम0एस0सी0 मोलेक्यूलर बॉयोलोजी (Molecular Biology) अथवा एम0एस0सी0 जेनेटिक्स (Genetics) अथवा एम0एस0सी0– फॉरेंसिक साईंस 2. एम0एस0सी0–फॉरेंसिक साईंस के लिए बी0एस0सी0 अथवा बी0टेक0 स्तर पर विषय–प्राणिकी अथवा वनस्पति शास्त्र बॉयोटेक्नोलोजी अथवा बी0एस0सी0 एम0एल0टी0 अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0एस0सी0 फॉरेंसिक साईंस।
10	वरी0वैज्ञा0सहा0(सीरम)	1. एम0एस0सी0 जीव विज्ञान अथवा एम0एस0सी0 प्राणिकी अथवा एम0एस0सी0 वनस्पति शास्त्र अथवा एम0एस0सी0 अनुजैविकी अथवा बॉयोटेक्नोलॉजी अथवा एम0एस0सी0–फॉरेंसिक साईंस 2. एम0एस0सी0–फॉरेंसिक साईंस के लिए बी0एस0सी0 अथवा बी0टेक0 स्तर का विषय–प्राणिकी अथवा वनस्पतिशास्त्र अथवा अनुजैविकी अथवा बॉयोटेक्नोलॉजी अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0एस0सी0 फॉरेंसिक साईंस।
11	वरी0वैज्ञा0सहा0(डी0एन0ए0)	1. एम0एस0सी0–प्राणिकी अथवा एम0एस0सी0–जीव रसायन अथवा एम0एस0सी0 मानविकी (शारीरिक) अथवा एम0एस0सी0 बॉयोटेक्नोलॉजी अथवा एम0एस0सी0 अनुजैविकी अथवा एम0एस0सी0– फॉरेंसिक साईंस (जेनेटिक्स में विशिष्टता)। 2. एम0एस0सी0–फॉरेंसिक साईंस के लिए बी0एस0सी0 अथवा बी0टेक0 स्तर का विषय–प्राणिकी अथवा वनस्पतिशास्त्र अथवा बॉयो टेक्नोलोजी अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0एस0सी0 फॉरेंसिक साईंस।
12	वरी0वैज्ञा0सहा0(पॉलिग्राफी)	1. एम0ए0–मनोविज्ञान (Psychology) (क्लीनिकल मनोविज्ञान में विशिष्टता) अथवा एम0ए0 क्रिमीनोलॉजी (Criminology) अथवा एम0एस0सी0–फोरेंसिक साईंस। 2. एम0एस0सी0–फॉरेंसिक साईंस के लिए बी0एस0सी0 अथवा बी0टेक0 (B.tech) स्तर पर विषय–मनोविज्ञान अथवा क्रिमीनोलॉजी।
13	वरीय वैज्ञानिक सहायक (नारको एनालाईसिस प्रशाखा)	1. एम0एस0सी0 / एम0ए0 मनोविज्ञान (चिकित्सीय अर्थात क्लीनिकल मनोविज्ञान में विशिष्टता) अथवा एम0एस0सी0 फॉरेंसिक साईंस (चिकित्सीय अर्थात् क्लीनिकल मनोविज्ञान में विशिष्टता)। 2. एम0एस0सी0 फॉरेंसिक साईंस (चिकित्सीय अर्थात क्लीनिकल मनोविज्ञान में विशिष्टता) स्नातक स्तर पर मनोविज्ञान विषय होना आवश्यक।

5. **अनुभवः–** वरीय वैज्ञानिक सहायक के पद हेतु अनुभव के रूप में किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कम से कम 01 (एक) वर्ष **(वरीय वैज्ञानिक सहायक के रूप में)** काम करने का अनुभव। अनुभव **की गणना प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के आधार पर निर्धारित की जायेगी।** फॉरेंसिक साईंस में योग्यता धारकों को अनुभव की अनिवार्यता नहीं होगी।

6. **उम्र सीमाः– उम्र सीमा की गणना दिनांक–01.01.2022 के आधार पर निर्धारित की जाएगी, परन्तु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विमाग) के पत्रांक–212, दिनांक–23.01.2006 के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक–01.01.2016 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर इस परीक्षा के पात्र होंगे।**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्त्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प संख्या–294, दिनांक–07.01.2016 के अनुसार उम्र सीमा निम्नवत होगीः–

(I) **न्यूनतम आयु सीमा –** 21 (इक्कीस) वर्ष (दिनांक–01.01.2022)

(II) **अधिकतम आयु सीमा –**

(A) गैर संविदा पदाधिकारी/कर्मियों के लिएः–

अनारक्षित वर्ग (पुरूष)	:– 37 वर्ष।
पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)	:– 40 वर्ष।
अनारक्षित वर्ग (महिला)	:– 40 वर्ष।
अनु0जाति/अनु0जनजाति (पुरूष एवं महिला)	:– 42 वर्ष।

(B) गृह विभाग, पटना, बिहार की अधिसूचना संख्या–3373, दिनांक–18.05.2015 के आलोक में संविदा के आधार पर बिहार के विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षो की विशेष छूट दी गई है। तद्नुसार संविदा पर कार्यरत् पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए उम्र सीमा निम्नप्रकार होगीः–

अनारक्षित वर्ग (पुरूष)	:– 47 वर्ष।
पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)	:– 50 वर्ष।
अनारक्षित वर्ग (महिला)	:– 50 वर्ष।
अनु0जाति/अनु0जनजाति (पुरूष एवं महिला)	:– 52 वर्ष।

(III) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प ज्ञापांक–2374, दिनांक–16.07.2007 एवं पत्रांक–13107, दिनांक–20.09.2019 के आलोक में, ऐसे सरकारी सेवक (बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक) जो तीन वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/सम्वर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र कांउसिलिंग के समय जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्षो की सेवा पूर्ण कर चुके हैं। निरंतर तीन वर्षो की सेवा की गणना आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक ही अनुमान्य होगी।

(IV) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–524, दिनांक–13.01.2022 के आलोक में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने हेतु बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरान्त अधिकतम तीन अवसरों की सीमा होगी। राज्य के सरकारी सेवकों से भिन्न अभ्यर्थियों के लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी।

(V) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्रांक–2447, दिनांक–06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्षों तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्ते की उनकी वास्तविक उम्र आवेदन भरने की तिथि को

53 (तिरेपन) वर्ष से अधिक नहीं हो। भूतपूर्व सैनिकों की उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण–पत्र काउंसिलिंग के समय समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(VI) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–962, दिनांक–22.01.2021 के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थियों को कोटिवार अधिकतम आयुसीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य है।

7. **चयन प्रक्रिया:–** वरीय वैज्ञानिक सहायक के पद हेतु उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं साक्षात्कार हेतु देय 100 अंकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। उम्मीदवारों के चयन हेतु 100 अंक निम्न प्रकार निर्धारित है:–

(i) शैक्षणिक योग्यता:–अधिकतम 60 (साठ) अंक, जो निम्न प्रकार विनिश्चित किया जाएगा:–

क्र0सं0	**योग्यता**	**प्रथम श्रेणी**	**द्वितीय श्रेणी**	**तृतीय श्रेणी**
01	02	03	04	05
1	मैट्रिक	10 अंक	08 अंक	06 अंक
2	आई0एस0सी0	12 अंक	10 अंक	08 अंक
3	बी0एस0सी0 / बी0टेक0	18 अंक	15 अंक	12 अंक
4	एम0एस0सी0 / एम0ए0 / एम0टेक0	20 अंक	18 अंक	16 अंक
	कुल	**60 अंक**	**51 अंक**	**42 अंक**

(ii) **अनुभव–**

पटना, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में अवस्थित बिहार राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कार्यानुभव के लिए अधिकतम 20 (बीस) अंक देय है।

पटना, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में अवस्थित बिहार राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में कार्यानुभव (वरीय वैज्ञानिक सहायक के रूप में) के लिए प्रत्येक पूर्ण वर्ष (12 माह) के लिए 05 (पाँच) अंक एवं अधिकतम 20 (बीस) अंक निर्धारित है। 12 माह से कम अवधि के लिए कोई अंक देय नहीं है। **कार्यानुभव की गणना प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के आधार पर निर्धारित की जायेगी।** संबंधित विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक / प्रभारी निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एवं निर्गत किया हुआ कार्यानुभव प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(iii) **साक्षात्कार :– 20 (बीस) अंक**

साक्षात्कार 20 अंकों का निर्धारित है।

नोट:– 1. सुयोग्य अभ्यर्थियों का M.Sc. या M.Sc. (Forensic Science) की डिग्री UGC (University Grants Commission) से मान्यता प्राप्त सरकारी / गैरसरकारी संस्थान / विश्वविद्यालय का होना चाहिए।

2. अभ्यर्थियों के बी0टेक0 या एम0टेक0 की डिग्री UGC (University Grants Commission)/AICTE (All India Council of Technical Education, New Delhi) से मान्यता प्राप्त सरकारी / गैरसरकारी संस्थान / विश्वविद्यालय की सूची में सम्मिलित होना चाहिए।

8. **क्वालीफाइंग मार्क्स:–**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–2374, दिनांक–16.07.2007 के आलोक में साक्षात्कार में अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो निम्नांकित है:–

सामान्य वर्ग – 40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग – 36.5 प्रतिशत
अ0पि0 वर्ग – 34 प्रतिशत
अनु0जाति / जनजाति – 32 प्रतिशत
महिला (सभी वर्ग) – 32 प्रतिशत
दिव्यांग (सभी वर्ग) – 32 प्रतिशत

9. **मेधासूची का निर्धारणः–** प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आयोग द्वारा निम्नरूपेण मेधासूची का निर्धारण किया जाना हैः–

(i) प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी ने जिस संस्थान एवं सत्र वर्ष से अपना एम0एस0सी0 / एम0टेक0 / बी0एस0सी0 / बी0टेक0 / एम0एस0सी0–फॉरेंसिक साईंस / एम0ए0–मनोविज्ञान की डिग्री हासिल किया है, उस संस्थान के प्रधान (Head of Institution) से UGC/AICTE से मान्यता प्राप्त होने संबंधी प्रमाण–पत्र समर्पित करेंगे। वैसे अभ्यर्थी जिनका अंक–पत्र "Grading system" के अंतर्गत प्रदत्त है, उन्हें "Grading system" का conversion formula काउंसिलिंग के समय लाना अनिवार्य है। conversion formula में अभ्यर्थी के उत्तीर्णता की श्रेणी (प्रथम / द्वितीय / तृतीय) का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

(ii) काउंसिलिंग के उपरान्त विज्ञापन में निहित्त शर्त्तों के आलोक में योग्य पाये गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा।

(iii) मेधा सूची में अंतिम रूप से वहीं अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–2374, दिनांक–16.07.2007 के आलोक में साक्षात्कार में निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने में सफल होंगे।

(iv) साक्षात्कार के पश्चात शैक्षणिक योग्यता, साक्षात्कार एवं अनुभव के अंकों को जोड़कर अभ्यर्थियों की मेधासूची तैयार की जायेगी।

(v) प्रशाखा का आवंटन मेधा क्रम, अभ्यर्थियों द्वारा दी गई प्रशाखाओं की प्राथमिकता विकल्प **एवं रोस्टर रिक्ति** के आधार पर किया जाएगा।

(vi) अभ्यर्थी के द्वारा दी गयी प्रशाखाओं की प्राथमिकता एवं मेधा सूची के आधार पर एक बार प्रशाखा आवंटित कर दिये जाने के बाद शेष प्रशाखाओं हेतु उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. <u>परीक्षा शुल्कः–</u>

(क)	सामान्य वर्ग / पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी	–	540 रूपये।
(ख)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (बिहार के स्थायी निवासी के लिए)	–	135 रूपये।
(ग)	सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए (अनु0 जाति / जनजाति के समान)	–	135 रूपये।
(घ)	सभी श्रेणी की महिलायें (सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए)	–	135 रूपये।
(ड़)	बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों (पुरूष / महिला) हेतु	–	540 रूपये।

परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क (Processing Charge) एवं सेवा कर (Service Tax) अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जायेगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन (Credit Card/ Debit Card/UPI/Net Banking आदि *के माध्यम* से) जमा किया जायेगा।

ऑनलाइन(Online) रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेन्ट गेटवे (Online Payment Gateway) के माध्यम से दिनांक–22.11.2022 से 21.12.2022 तक जमा किया जा सकेगा।

11. <u>आरक्षणः–</u>

(i) ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–70, दिनांक–11.06.1996 एवं **बिहार अधिनियम 15 / 2003 (मूल) के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल वासी को ही देय है।** बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय स्थायी निवास प्रमाण–पत्र का नम्बर, तिथि तथा निर्गत करने वाले प्राधिकार का पदनाम अंकित करना होगा, जिसे काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ii) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके पास आरक्षण कोटि के

अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

(iii) **ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्त्तन नहीं किया जायेगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।**

(iv) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिः**— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण—पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण—पत्र मान्य होगा। **संबंधित प्रमाण—पत्र को काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। काउंसिलिंग के समय उक्त मूल प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।**

(v) **पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्गः**— पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिये अपने स्थायी अधिवास राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण—पत्र मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय क्रीमीलेयर रहित प्रमाण—पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसकी निर्गत संख्या, तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन के निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करना होगा। **पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमीलेयर रहित प्रमाण—पत्र को काउंसिलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। प्रकाशित विज्ञापन के ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की निर्धारित अंतिम तिथि से एक वर्ष से अधिक पुराने *क्रीमीलेयर रहित प्रमाण—पत्र* की स्थिति में विहित प्रपत्र—xviii (B) में स्वघोषणा समर्पित करना अनिवार्य होगा।**

काउंसिलिंग के समय उक्त प्रमाण—पत्र/स्वघोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(vi) **आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण—पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम एवं पता से।**

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक—16144, दिनांक—28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है। अतः ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे, वही मान्य होगा।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या—2342, दिनांक—15.02.2016 के अनुसार बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा। 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की पदवार एवं कोटिवार संख्या तालिका में अंकित है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या—963, दिनांक—20.01.2016 के आलोक में योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरूष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा।

(ix) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0—2622, दिनांक—26.02.2019 के आलोक में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण देय है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कर्णांकित रिक्तियों की संख्या तालिका में अंकित है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या—2622, दिनांक—26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण—पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची—I (प्रपत्र—I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है, अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगा परन्तु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। आय एवं परिसम्पति संबंधी प्रमाण—पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा (वित्तीय वर्ष—2021—22)।

(x) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0— 12722, दिनांक—12.09.2014 के आलोक में किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेंडर (थर्ड जेन्डर) व्यक्तियों को पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा।

(xi) <u>दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए:–</u>

A. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक–13062, दिनांक–12.10.2017 के प्रावधान के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण देय है। विभागों से प्राप्त अधियाचना में दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या प्रशाखावार/पदवार उपरोक्त तालिका में अंकित है। यदि कोई रिक्ति किसी उपर्युक्त निःशक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किन्हीं अन्य पर्याप्त कारणों से भरा नहीं जायेगा, तो ऐसी रिक्ति नियमानुसार अगली नियुक्ति में अग्रणित की जायेगी।

B. दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के समय सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–13062, दिनांक–12.10.2017 में संलग्न विहित प्रपत्र (अनुबन्ध–1) में दिव्यांगता प्रमाण–पत्र समर्पित करना होगा, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण–पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण–पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रमाण पत्रों एवं कार्यानुभव के पत्र की निर्गत संख्या, तिथि एवं निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकार का पदनाम अंकित किया जाना अनिवार्य है। काउंसिलिंग/Document Verification के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों को मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त वर्णित मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए काउंसिलिंग के पश्चात कोई समय देय नहीं होगा।

सभी वांछित प्रमाण–पत्रों का आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना अनिवार्य है।

12. <u>अन्य:–</u>

(i) किसी उम्मीदवार की पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा और यह अंतिम होगा। वैसे ही उम्मीदवार काउंसिलिंग/साक्षात्कार में सम्मिलित हो सकेंगे, जिन्हें एतदर्थ आयोग द्वारा सूचित/आमंत्रित किया जायेगा। सूचना देने/आमंत्रण मात्र से अर्हता की सम्पुष्टि नहीं मानी जायेगी। **किसी उम्मीदवार के काउंसिलिंग/साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए पात्रता/अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।**

(ii) बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित काउंसिलिंग अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्रों की संवीक्षा एवं उनकी विज्ञापन के अनुरूप अर्हता निर्धारित करने के लिए की जाती है एवं अभ्यर्थी मात्र काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के आधार पर चयन का दावा नहीं कर सकते है।

(iii) किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने अथवा चयन की प्रक्रिया को किसी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर प्रभावित करने अथवा दबाव बनाने का प्रयास करने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।

(iv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के समय प्रत्येक पेज पर विवरणी दर्ज करने के बाद Submit/Save Next Buttobn Click करना है। प्रदर्शित पेज पर दर्ज किये गये विवरणी में यदि परिर्वतन करना चाहते है तो Edit Option का उपयोग किया जा सकता है। Final Submit करने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेगें कि उनके द्वारा सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण एवं सही ढंग से भरी गई हैं। Final Submit करने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की त्रुटि का परिमार्जन नहीं किया जा सकेगा।

(v) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर को स्कैन कर अपलोड करेंगे तथा पूरी परीक्षा प्रक्रिया में इसी प्रकार के हस्ताक्षर का उपयोग करेंगे।

(vi) आवेदन में अपना रंगीन फोटो जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो और जो दो माह से अधिक पुराना न हो को ही अपलोड करेंगे। किसी भी परिस्थिति में पुराना फोटो अपलोड नहीं करेंगे।

(Vii) एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाना है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्त्व रद्द कर दिया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी को फर्जी नाम एवं पता के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे, उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(viii) आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे विज्ञापन की शर्तों के आलोक में निर्धारित आयु, शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव आदि सभी पात्रता को पूर्ण करते हैं।

(ix) अभ्यर्थी **मैट्रिक परीक्षा** के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन पत्र में अपनी जन्मतिथि, नाम तथा माता/पिता/पति के नाम का सही–सही उल्लेख करेंगे। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, माता/पिता/पति का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता आदि सभी सूचनाएँ बिल्कुल सही–सही भरेगें। प्रमाण पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है, तो आवेदक/आवेदिका की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

(x) वैध एवं सक्रिय मोबाईल नम्बर तथा ई–मेल आई0डी0 दर्ज करना अनिवार्य है क्योंकि भविष्य में भावी संवाद के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप गलत या अवैध मोबाईल नम्बर दर्ज करते हैं, तो भविष्य में महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त करने से वंचित हो जायेंगे।

(Xi) भविष्य में पत्राचार/जानकारी प्राप्त करने के लिए Application Form Number /Registration Number/Roll Number होना आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र (फोटो सहित) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। किसी भी परिस्थिति में डूप्लीकेट/द्वितीयक रजिस्ट्रेशन नम्बर/एप्लिकेशन फार्म नम्बर/प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।

13. महत्वपूर्ण निर्देशः–

कदाचार/गलत आचरण करने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द किये जाने के साथ–साथ भविष्य में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है तथा ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई भी की जा सकती है। कदाचार/गलत आचरण के अन्तर्गत निम्न बिन्दु शामिल हैं:–

- काउंसिलिंग/साक्षात्कार में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, ऐनालॉग/डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या अन्य किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पाए जाने पर।
- पररूपधारण (Impersonation) करने पर।
- काउंसिलिंग/साक्षात्कार कार्य में संलग्न पदाधिकारियों/कर्मियों को धमकाने या शारीरिक रूप से क्षति पहुँचाने पर।
- इसके अतिरिक्त पूरी परीक्षा प्रक्रिया (यथा:–काउंसिलिंग, साक्षात्कार) के दौरान कोई भी अन्य कारण जिसे आयोग द्वारा उम्मीदवारी रद्द करने योग्य समझा जाता है, ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी बिना कारण बताये रद्द की जा सकती है।

नोटः– **(i) उम्मीदवारों की अर्हता, आवेदन पत्रों को स्वीकार/अस्वीकार करने, चयन की प्रक्रिया, काउंसिलिंग/साक्षात्कार के आयोजन का निर्धारण, परीक्षाफल तैयार करने की प्रक्रिया एवं सफल उम्मीदवारों के पदों/प्रशाखा के लिए चयन एवं आवंटन के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी/मान्य होगा तथा इनके संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/पत्राचार के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा।**

(ii) ऑनलाइन आवेदन–पत्र के अंत में अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन से संबंधित प्रविष्टियों के संबंध में किये गए घोषण–पत्र पर सहमति प्रदान करना अनिवार्य है।

14. घोषणाः–

मै घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन तथा निर्देशों को भली–भाँति पढ़ लिया है। जब भी आयोग मेरे द्वारा दिये गये विवरण की पुष्टिकरण माँगेगा, मैं निदेशानुसार आवश्यक सभी संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करूँगा/करूँगी। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने कोई अतिरिक्त डूप्लीकेट आवेदन या समान विवरण का आवेदन नहीं भरा है। मैं यह भी जानता/जानती हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी सही साबित नहीं हुई, तो मेरा आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार मुझे परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

15. अंतिम तिथिः–

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि–22.11.2022 से 24.12.2022 की रात्रि 11:59 बजे (Server Time) तक निर्धारित है। अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन–पत्र की प्रति (Hard Copy) को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

18.11.2022

सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।